बोर्डों के परामर्श से वर्ष 1993-94 हेतु पम्प सेटों को अर्जित किये जाने के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) आठ राज्यों में पंप रैक्टीफिकेशन कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु ।

(ग) विद्युत मंत्रालय पंप रैक्टीफिकेशन कार्यक्रम पर अब तक 14.18 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।

विवरण

राज्य सरकारों / राज्य बिजली बोर्डों द्वारा पम्पसेटों के ऊर्जीकरण हेतु लक्ष्य

क्र०सं०	राज्य	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	56000
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	—
4.	बिहार	1500
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	17000
7.	हरियाणा	12500
8.	हिमाचल प्रदेश	100
9.	जम्मू व कश्मीर	200
10.	कर्नाटक	32000
11.	केरल	4800
12.	मध्य प्रदेश	19000
13.	महाराष्ट्र	48000
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिज़ोरम	—
17.	नागालैण्ड	20
18.	उड़ीसा	3500
19.	पंजाब	3500
20.	राजस्थान	22800
21.	सिक्किम	3740
22.	तमिलनाडु	37400
23.	त्रिपुरा	6050
24.	उत्तर प्रदेश	12500
25.	पश्चिम बंगाल	4700
	जोड़	275580

विद्युत परियोजनाओं का पूरा न किया जाना

952. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विद्युत परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में विद्युत परियोजनाओं को ठीक समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी विभिन्न घटक तथा निधियों की कमी, विशिष्टियों को अंतिम रूप देने और ठेके देने में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण करने में कठिनाइयां, उपस्कर सप्लाई करने में विलम्ब, सिविल एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों की प्रगति की गति धीमी होना आदि हैं।

(ग) सरकार/सम्बन्धित क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा ऐसे भरसक प्रयास किए जाते हैं कि समयावधि बढ़ने से बचा जाए। विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सघन मानीटरिंग जैसे परियोजना स्थल के दौरे करना, परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रमुख उपस्कर सप्लाईकर्ताओं के साथ उच्चतम स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि बाधाओं का पता लगाया जा सके और परियोजनाओं को तत्परता के पूरा करने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। अपेक्षित निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और समयावधि बढ़ने से बचने के लिए सरकार द्वारा निम्नवत् उपाय किए गए हैं :—

(1) ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रावधान करना तथा दो चरणों में स्वीकृति प्रदान करने की पद्धति को अपनाना।

(2) ठेकेदारों द्वारा समयानुसार कार्य पूरा किए जाने के लिए प्रोत्साहन / हतोत्साहन उपाय अपनाना।

(3) 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की स्वीकृति की छूट देना।

(4) प्रथम चरण की स्वीकृति के पश्चात् भूमि अधिग्रहण करना।

(5) ठेके तथा परियोजना प्रबन्ध को सशक्त बनाना।